(3)

संख्या– 917 /33–3–2014–100(12)/2014

प्रेषक,

राकेश कुमार
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3

लखनऊः: दिनांकः: 11 जून,2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था की पूर्ण कराने हेतु अनुदान संख्या–14में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान अवधि हेतु रू0 10000.00 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या–447/66–2012–05/2012, दिनांक 17.05.2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में पंचायती राज अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1266/33–2–2012–4 आर0डी0/12, दिनांक 13 जून,2012, शासनादेश संख्या–89/33–3–2013–100(20)/2012, दिनांक 28 जनवरी, 2012 तथा शासनादेश संख्या–366/33–3–2013–100(20)/2012, 06 जनवरी, 2013 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–795/दस–2014–231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–14के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में उक्त योजनान्तर्गत लेखानुदान (माह अप्रैल, 2014 से जुलाई,2014 तक) के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख की शतप्रतिशत धनराशि रू0 10000.00 लाख (रू0 एक अरब मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन, जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार, श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2014–15 में लेखानुदान अवधि के लिए प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2014–15 की लेखानुदान अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रुप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–795/ दस–2014–231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–01– प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यकम–800–अन्य प्राप्तियॉ–02–प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा केडिट किया जायेगा।

(4) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलो में

उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलो में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–14 के "लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–101–पंचायती राज–06–सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाईल्स की व्यवस्था–24–बृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

(6) सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) शासकीय व्यय में मितब्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितब्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007, दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(8) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत् व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(10) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–795/दस–2014–231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक :–यथोक्त

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
4– समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
5– कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6– समस्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत लखनऊ।
8– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2
9– वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1/2
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-917/33-3-2014-100(12)/2014 दिनांक 11 अप्रैल 2014
का संलग्नक I

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

डा0 राम मनोहर समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु सामान्य (अनुदान-14) के अन्तर्गत आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-14

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित धनराशि		
		सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण (कार्यान्वयन)	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग
1	2	3	4	5
1	लखनऊ	62.66	4.63	67.29
2	हरदोई	62.66	4.63	67.29
3	सीतापुर	107.05	7.90	114.95
4	खीरी	159.27	11.76	171.03
5	रायबरेली	62.66	4.63	67.29
6	उन्नाव	109.66	8.10	117.76
7	वाराणसी	148.83	10.99	159.82
8	चन्दौली	114.88	8.48	123.36
9	जौनपुर	261.10	19.28	280.38
10	गाजीपुर	140.99	10.41	151.40
11	मिर्जापुर	101.83	7.52	109.35
12	सोनभद्र	33.94	2.51	36.45
13	भदोही	104.44	7.71	112.15
14	आजमगढ	211.49	15.61	227.10
15	मऊ	109.66	8.10	117.76
16	बलिया	211.49	15.61	227.10
17	बस्ती	127.94	9.45	137.39
18	सिध्दार्थ नगर	169.72	12.53	182.25
19	सन्तकबीर नगर	138.38	10.22	148.60
20	बरेली	169.72	12.53	182.25
21	शाहजहाँपुर	140.99	10.41	151.40
22	बदायूँ	182.77	13.49	196.26
23	पीलीभीत	81.42	6.01	87.43
24	इलाहाबाद	208.88	15.42	224.30
25	कौशाम्बी	57.44	4.24	61.68
26	प्रतापगढ	159.27	11.76	171.03
27	फतेहपुर	94.00	6.94	100.94

शासनादेश सं0 917/35-3/14-100(12)/2014
दिनांक - 11.02.2014 II

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित धनराशि		
		सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण (कार्यान्वित)	अधिष्ठान अंश 6.87% प्रतिशत की धनराशि	कुल योग
1	2	3	4	5
28	फैजाबाद	104.44	7.71	112.15
29	बाराबंकी	94.00	6.94	100.94
30	अम्बेडकरनगर	117.50	8.67	126.17
31	सुल्तानपुर	107.05	7.90	114.95
32	अमेठी	135.77	10.02	145.79
33	गोण्डा	198.44	14.65	213.09
34	बलरामपुर	135.77	10.02	145.79
35	बहराइच	125.33	9.25	134.58
36	श्रावस्ती	127.94	9.45	137.39
37	कानपुरनगर	94.00	6.94	100.94
38	कानपुर देहात	109.66	8.10	117.76
39	फर्रूखाबाद	102.55	7.57	110.12
40	इटावा	83.55	6.17	89.72
41	औरैया	75.72	5.59	81.31
42	कन्नौज	125.33	9.25	134.58
43	मुरादाबाद	177.55	13.11	190.66
44	सम्भल	138.38	10.22	148.60
45	रामपुर	138.38	10.22	148.60
46	बिजनौर	122.72	9.06	131.78
47	अमरोहा	112.27	8.29	120.56
48	आगरा	146.22	10.79	157.01
49	मथुरा	140.99	10.41	151.40
50	मैनपुरी	143.61	10.60	154.21
51	फिरोजाबाद	167.10	12.34	179.44
52	अलीगढ	138.38	10.22	148.60
53	हाथरस	83.55	6.17	89.72
54	कासगंज	94.00	6.94	100.94
55	एटा	133.16	9.83	142.99
56	झाँसी	49.61	3.66	53.27
57	ललितपुर	67.89	5.01	72.90
58	जालौन	67.89	5.01	72.90
59	मेरठ	125.33	9.25	134.58
60	बागपत	117.94	8.71	126.65

पृ0- 417/33-5/2017-100(14)/2017 दिनांक 11 अप्रैल, 2017
का संलग्नक III

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित धनराशि		
		सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण (कार्यांश)	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग
1	2	3	4	5
61	गाजियाबाद	96.61	7.13	**103.74**
62	हापुड़	96.61	7.13	**103.74**
63	गौतमबुद्धनगर	44.39	3.28	**47.67**
64	बुलन्दशहर	130.55	9.64	**140.19**
65	सहारनपुर	125.33	9.25	**134.58**
66	मुजफ्फरनगर	232.38	17.16	**249.54**
67	शामली	133.16	9.83	**142.99**
68	चित्रकूट	80.94	5.98	**86.92**
69	हमीरपुर	75.72	5.59	**81.31**
70	महोबा	62.66	4.63	**67.29**
71	बांदा	125.33	9.25	**134.58**
72	गोरखपुर	154.05	11.37	**165.42**
73	महाराजगंज	182.79	13.46	**196.25**
74	देवरिया	135.77	10.02	**145.79**
75	कुशीनगर	201.05	14.84	**215.89**
प्रदेश का योग		9312.50	687.50	10000.00

(ए0के0 पाण्डेय)
उप निदेशक (पंचायत)
पंचायतीराज, उ0 प्र0